

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या - 137  
उत्तर दिनांक 12.02.2026 को दिया गया

**परमाणु संयंत्रों से ऊर्जा का उत्पादन**

\*137. श्री आर. गिरिराजन

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार 14,000 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता वाले 18 और परमाणु ऊर्जा रिएक्टर निर्मित करने का विचार रखती है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक संयंत्र के स्थान, लागत और पूरा होने के समय का ब्यौरा क्या है;
- (ग) कुडनकुलम स्थित परमाणु संयंत्रों, अर्थात केकेएनपी 3 और 4 तथा केकेएनपी 5 और 6 से ऊर्जा का उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं; और
- (घ) परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के भीतर और आसपास शत प्रतिशत बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या नवोन्मेषी और वैज्ञानिक उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ): सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग

“परमाणु संयंत्रों से ऊर्जा का उत्पादन” के संबंध में श्री आर. गिरिराजन द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*137 के भाग (क) से (घ), जिसका उत्तर दिनांक 12.02.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में प्रस्तुत विवरण।

(क) व (ख) हां, वर्तमान में, आठ नाभिकीय रिएक्टर निर्माणाधीन हैं और इसके अतिरिक्त, दस रिएक्टर पूर्व-परियोजना चरण में हैं। कुल मिलाकर इनकी क्षमता 13600 मेगावाट है। प्रत्येक संयंत्र का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	स्थान	परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	लागत (करोड़ में)	पूरा होने का अनुमानित समय
<b>निर्माण / कमीशनन के अधीन परियोजनाएं</b>					
राजस्थान	रावतभाटा	आरएपीपी-8	700	22,924 <sup>\$</sup>	2026
तमिलनाडु	कुडनकुलम	केकेएनपीपी-3 व 4	2 X 1000	68,893	2027
		केकेएनपीपी-5 व 6	2 X 1000	69,638 <sup>#</sup>	2030
हरियाणा	गोरखपुर	जीएचएवीपी- 1 व 2	2 X 700	20,594	2031-2032
तमिलनाडु	कल्पाक्कम	पीएफबीआर-प्रोटोटाइप द्रुत प्रजनक रिएक्टर	1 X 500	8,181	2026
<b>पूर्व-परियोजना गतिविधियों के अधीन परियोजनाएं</b>					
कर्नाटक	कैगा	कैगा-5 व 6	2 X 700	1,05,000	क्रमिक रूप से वर्ष 2031-32 तक
हरियाणा	गोरखपुर	जीएचएवीपी- 3 व 4	2 X 700		
मध्य प्रदेश	चुटका	चुटका-1 व 2	2 X 700		
राजस्थान	माही बांसवाड़ा	माही बांसवाड़ा-1 व 2*	2 X 700		
		माही बांसवाड़ा-3 व 4*	2 X 700		

<sup>\$</sup> आरएपीपी-7 व 8 (2X700 मेगावाट) द्वि-यूनिट की पूर्णता लागत।

\* माही बांसवाड़ा-1 व 2 तथा माही बांसवाड़ा-3 व 4 को एनपीसीआईएल और एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम अश्विनी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

<sup>#</sup> अनुमोदन के अधीन।

(ग) सरकार कुडनकुलम, अर्थात केकेएनपीपी-3 व 4 और केकेएनपीपी-5 व 6 में नाभिकीय संयंत्रों के शीघ्र कमीशनन और विद्युत उत्पादन के लिए सभी आवश्यक प्रयास कर रही है। इन उपायों में रूसी परिसंघ और अन्य देशों से आपूर्ति से संबंधित मुद्दों का समाधान, कंक्रीट एग्रीगेट के लिए पत्थर खदानों की स्वीकृति में देरी से संबंधित मुद्दे, रूसी परिसंघ और अन्य देशों से आपूर्ति का परिवहन आदि,

परियोजना गतिविधियों की प्रगति की कई स्तरों पर सतत निगरानी, अवरोधों की समय पर पहचान और आवश्यक मध्यवर्ती सुधारात्मक कदम उठाना, विक्रेताओं/ठेकेदारों के साथ नियमित बैठकें और निर्माण गतिविधियों के क्रम का पुनर्संयोजन से संबंधित कार्य शामिल है। इन सभी उपायों के माध्यम से परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।

- (घ) नाभिकीय ऊर्जा के सभी पहलुओं - स्थल चयन, अभिकल्प, निर्माण, कमीशनन एवं प्रचालन में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) की संहिताओं और दिशा-निर्देशों के अनुरूप नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का अभिकल्प पुनरावृत्ति तथा विविधता के संरक्षा सिद्धांतों को अपनाते हुए किया जाता है और अतिव्यापी गहन संरक्षा सिद्धांत का अनुपालन करते हुए 'विफल-संरक्षित (फेल-सेफ)' अभिकल्प विशेषताएं उपलब्ध कराई जाती हैं। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का निर्माण उच्चतम गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाता है और इनका प्रचालन उच्चतम योग्य, प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त कर्मियों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए किया जाता है। एनपीसीआईएल और एईआरबी के भीतर कई स्तरों पर संरक्षा समीक्षा का एक मजबूत तंत्र मौजूद है। इसके अलावा, संरक्षा स्थिर प्रक्रिया नहीं है और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाते हुए वैश्विक मानकों, घटनाओं और प्रचालन अनुभवों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में निरंतर सुधार / उन्नयन किए जाते हैं।

\*\*\*\*\*